

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-864/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-250(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित नियम समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा-	स0वि0स0	सभापति
02. सभापति, लोक लेखा समिति-	स0वि0स0	सदस्य
03. सभापति, प्राक्कलन समिति-	स0वि0स0	सदस्य
04. सभापति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति	स0वि0स0	सदस्य
05. सभापति, सदाचार समिति	स0वि0स0	सदस्य।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद) 23/5/21
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक-01स्था0-97/2020-865/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21।

प्रति-अध्यक्ष, झारखण्ड विधान-सभा, सभापति नियम समिति/सभापति, लोक लेखा समिति/सभापति, प्राक्कलन समिति/सभापति, सरकारी उपकरणों संबंधी समिति/सभापति, सदाचार समिति/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार) 23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक-01स्था0-97/2020-865/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21।

प्रति-स्थान शाखा (10 प्रति में)/लेखा शाखा/जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार) 23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

क० १०३०

ज्ञापांक-01स्था0-97/2020 - 865 /वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक-01स्था0-97/2020 - 865 /वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक-01स्था0-97/2020 - 865 /वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
23/5/21

[Faint Stamp]
संयुक्त सचिव

[Faint Stamp]
संयुक्त सचिव

[Faint Stamp]
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-866/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-245(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित विशेषाधिकार समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा	स0वि0स0	सभापति
02. संसदीय कार्य मंत्री, झारखण्ड सरकार	स0वि0स0	सदस्य
03. नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा	स0वि0स0	सदस्य
04. सभापति, आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति	स0वि0स0	सदस्य
05. सभापति, सरकारी आश्वासन समिति	स0वि0स0	सदस्य।

विशेष आमंत्रित सदस्य

1. सभापति, सदाचार समिति
2. सभापति, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020-867/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, स0वि0स0, सभापति, विशेषाधिकार समिति/संसदीय कार्य मंत्री, झारखण्ड सरकार/नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची/सभापति, आंतरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति/सभापति, सरकारी आश्वासन समिति/सभापति, सदाचार समिति, झारखण्ड विधान सभा, राँची/सभापति, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

30.5.2021

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020 867 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-स्थापन शाखा (10 प्रतियों में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत कुमार
23/5/2021
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020 867 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

रंजीत कुमार
23/5/2021
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020 867 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

रंजीत कुमार
23/5/2021
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020 867 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

रंजीत कुमार
23/5/2021
संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

रंजीत कुमार
23/5/21

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-868/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-229 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित याचिका समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा	स0वि0स0	सभापति
02. श्री अनित कुमार मण्डल	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री ग्लेन जॉसेफ गॉलस्टन	स0वि0स0	सदस्य
04. श्रीमती ममता देवी	स0वि0स0	सदस्या
05. श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स0वि0स0	सदस्य।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से

(महेन्द्र प्रसाद) 23/5/21

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-869/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, सभापति याचिका समिति/श्री अनित कुमार मण्डल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची / श्री ग्लेन जॉसेफ गॉलस्टन, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/श्रीमती ममता देवी, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा/ श्री दिनेश विलियम मराण्डी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, नवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-869/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-स्थापन शाखा (10 प्रति में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

20/5/20

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-869 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-869 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-869 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय झोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

23/05/21

10/2/21

10/2/21

10/2/21

10/2/21

10/2/21

10/2/21

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-870/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-237(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित लोक लेखा समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा	स0वि0स0	समापति
02. श्री अमित कुमार यादव	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री सुखराम उरांव	स0वि0स0	सदस्य
04. श्री सुदिव्य कुमार	स0वि0स0	सदस्य
05. श्री नमन विक्सल कौगाड़ी	स0वि0स0	सदस्य
06. श्री दिनेश विलियम मराण्डी	स0वि0स0	सदस्य।

श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, स0वि0स0 इस समिति के समापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
23/5/21
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-871/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- श्री नीलकंठ सिंह मुण्डा, समापति लोक लेखा समिति/श्री अमित कुमार यादव, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची / श्री सुखराम उरांव, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/श्री सुदिव्य कुमार, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ श्री नमन विक्सल कौगाड़ी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ श्री दिनेश विलियम मराण्डी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा /माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
23/5/2021

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

308030-

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020. 871 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-स्थापन शाखा (10 प्रति में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
23/5/2021

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020. 871 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
23/5/2021

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020. 871 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
23/5/2021

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020. 871 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।
23/5/2021

23/5/21

संयुक्त सचिव

सचिव

सचिवालय

23/5/21

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रांची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-872/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-239 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित प्राक्कलन समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. श्री दीपक बिरुवा	स0वि0स0	सभापति
02. श्री बैद्यनाथ राम	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री नारायण दास	स0वि0स0	सदस्य
04. सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0	सदस्या
05. श्री लम्बोदर महतो	स0वि0स0	सदस्य।

श्री दीपक बिरुवा, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से.

(नहेन्द्र प्रसाद)
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रांची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020-873/वि0स0, रांची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- श्री दीपक, बिरुवा, सभापति प्राक्कलन समिति/श्री बैद्यनाथ राम, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, रांची /श्री नारायण दास, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/सुश्री अम्बा प्रसाद, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा/ श्री लम्बोदर महतो, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, रांची/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, रांची/महालेखाकार, झारखण्ड, रांची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रांची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, रांची।


ज्ञापक- 01स्था0-97/2020-873/वि0स0, रांची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-स्थापन शाखा (10 प्रतियों में) /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, रांची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020 873 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21


प्रति-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अख्यतीय कार्यालय / सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020 873 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21


प्रति-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव,


झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020 873 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21


प्रति- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।



23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।


23/5/21







झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-874/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-241(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है-

01. श्री भूषण तिकी	स0वि0स0	समापति
02. श्री धमरा लिप्ठा	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री कमलेश कुमार सिंह	स0वि0स0	सदस्य
04. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0	सदस्या
05. श्रीमती पुष्पा देवी	स0वि0स0	सदस्या।

श्री भूषण तिकी, स0वि0स0 इस समिति के समापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020-875/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- श्री भूषण तिकी समापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति/श्री धमरा लिप्ठा, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची / श्री कमलेश कुमार सिंह, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा/श्रीमती पुष्पा देवी, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा, राँची/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020-875/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-स्थापन शाखा (10 प्रति में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुरतकालय-शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, /सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

20/5/20

झापांक:- 01स्था0-97/2020 875 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक:- 01स्था0-97/2020 875 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक:- 01स्था0-97/2020 875 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- नोटल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय झोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
23/5/21

[Faint Handwritten Signature]

सचिव

सचिवालय

[Faint, mostly illegible text block]

[Faint Handwritten Signature]

सचिव

सचिवालय

[Faint, mostly illegible text block]

सचिव

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना


संख्या-01 स्था0-97/2020- 876 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-231 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित प्रत्यायुक्त विधान समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|--------------------------|---------|--------|
| 1. श्री विनोद कुमार सिंह | स0वि0स0 | सभापति |
| 2. श्री बन्धु तिकी | स0वि0स0 | सदस्य |
| 3. श्री सुखराम उरौव | स0वि0स0 | सदस्य |
| 4. श्री सुदिव्य कुमार | स0वि0स0 | सदस्य |
| 5. श्री भूषण बड़ा | स0वि0स0 | सदस्य। |

श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद) 23/5/21
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :-01 स्था0-97/2020- 877 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21


प्रति :- श्री विनोद कुमार सिंह, स0वि0स0, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति/ श्री बन्धु तिकी, स0वि0स0, सदस्य/ श्री सुखराम उरौव, स0वि0स0, सदस्य/ श्री सुदिव्य कुमार, स0वि0स0, सदस्य/ श्री भूषण बड़ा, स0वि0स0, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/2021
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :-01 स्था0-97/2020- 877 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनाएँ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

रु. 10/30-

प्रशासनिक सेवा आयोग

संख्या ०२ :-

ज्ञापांक :- ०१स्वा०-९७/२०२०- ८७७ / वि०स०, राँची, दिनांक २३/५/२१

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय को फमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
२३/५/२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :- ०१स्वा०-९७/२०२०- ८७७ / वि०स०, राँची, दिनांक २३/५/२१

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
२३/५/२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :- ०१स्वा०-९७/२०२०- ८७७ / वि०स०, राँची, दिनांक २३/५/२१

प्रति :- नोटल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Signature]
२३/५/२०२१

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

[Signature]
२३/५/२०२१

[Faint background text and stamps, including a large circular stamp at the bottom left]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक :- 23/5/21

संख्या-01 स्था0-97/2020- 878 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-259 एवं 264 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. श्री लोबिन हेम्ब्रम	स0वि0स0	सभापति
2. श्री कोचे मुण्डा	स0वि0स0	सदस्य
3. श्री अमित कुमार यादव	स0वि0स0	सदस्य
4. श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी	स0वि0स0	सदस्य
5. श्री विकास कुमार मुण्डा	स0वि0स0	सदस्य।

श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

नोट :- यह समिति आदिम जनजाति कल्याण से संबंधित विषयों को भी देखेगी।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :-01 स्था0-97/2020- 879 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- श्री लोबिन हेम्ब्रम, स0वि0स0, सभापति, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति/ श्री कोचे मुण्डा, स0वि0स0, सदस्य/ श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0, सदस्य/ श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी, स0वि0स0, सदस्य/ श्री विकास कुमार मुण्डा, स0वि0स0, सदस्य/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :-01 स्था0-97/2020- 879 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

23/5/21

संयुक्त सचिव, झापा जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय

संयुक्त सचिव

1.5.12.12 - कोषागरी -म 02 :-

झापांक :- 01स्था0-97/2020- 879 / वि०स०, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
23/5/21

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झापांक :- 01स्था0-97/2020- 879 / वि०स०, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- कोषागरी पदाधिकारी, सचिवालय कोषागरी, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
23/5/21

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झापांक :- 01स्था0-97/2020- 879 / वि०स०, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- मोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Signature]
23/5/21

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

[Signature]
23/5/2021

[Signature]
(संयुक्त सचिव)
सचिव

सचिव, संयुक्त सचिव, झापा जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय

1.5.12.12 - कोषागरी -म 02 :-
संयुक्त सचिव, झापा जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय
कोषागरी पदाधिकारी, सचिवालय कोषागरी, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
(संयुक्त सचिव)
सचिव

1.5.12.12 - कोषागरी -म 02 :-
संयुक्त सचिव, झापा जिल्ला प्रशासनिक कार्यालय
कोषागरी पदाधिकारी, सचिवालय कोषागरी, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
(संयुक्त सचिव)
सचिव

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक :- 23/5/21

संख्या-01 स्था0-97/2020- 880 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-264 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित महिला एवं बाल विकास समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|------------------------|---------|--------|
| 1. श्रीमती सीता मुर्मू | स0वि0स0 | सभापति |
| 2. डॉ० नीरा यादव | स0वि0स0 | सदस्या |
| 3. श्री राज सिन्हा | स0वि0स0 | सदस्य |
| 4. श्री सोनाराम सिंघु | स0वि0स0 | सदस्य |

श्रीमती सीता मुर्मू, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :- 01 स्था0-97/2020- 881 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- श्रीमती सीता मुर्मू, स0वि0स0, सभापति, महिला एवं बाल विकास समिति/ डॉ० नीरा यादव, स0वि0स0, सदस्या/ श्री राज सिन्हा, स0वि0स0, सदस्य/ श्री सोनाराम सिंघु, स0वि0स0, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :- 01 स्था0-97/2020- 881 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतिवों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

80/8/30-

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 881 / वि०स०, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, राधिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनाय प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 881 / वि०स०, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 881 / वि०स०, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

23/5/21

[Faint text and signatures in the lower half of the page, including repeated header information and administrative notes.]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-882/विस0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-243 एवं 251 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. श्री निरल पुरती	स0वि0स0	सभापति
02. श्री बन्धु तिर्की	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0	सदस्य
04. श्री अमर कुमार बाउरी	स0वि0स0	सदस्य
05. श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0	सदस्य।

श्री निरल पुरती इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-883/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- श्री निरल पुरती सभापति, सरकारी आश्वासन एवं आवास समिति/श्री बन्धु तिर्की, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची /श्री दशरथ गागराई, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/श्री अमर कुमार बाउरी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/श्री समीर कुमार महान्ती सिंह, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधियक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेवजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-883/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-स्थापन शाखा (10 प्रतियों में) /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /किराची शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक:- 01स्था0-97/2020 883 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक:- 01स्था0-97/2020 883 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक:- 01स्था0-97/2020 883 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

[Signature]
23/5/21

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-884/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-253(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है -

01. श्री रामदास सोरेन	स0वि0स0	सभापति
02. श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री विकास कुमार मुण्डा	स0वि0स0	सदस्य
04. श्री समरी लाल	स0वि0स0	सदस्य
05. श्री राजेश कच्छप	स0वि0स0	सदस्य।

श्री रामदास सोरेन, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद) 23/5/21
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020-885/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- श्री रामदास सोरेन, सभापति प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति/श्री दशरथ गागराई, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची / श्री विकास कुमार मुण्डा, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/श्री समरी लाल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ श्री राजेश कच्छप, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020-885/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-स्थापन शाखा (10 प्रति में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अपर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक:- 01स्था0-97/2020-885/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
23/5/2021

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक:- 01स्था0-97/2020-885/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
23/5/2021

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक:- 01स्था0-97/2020-885/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
23/5/2021

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

01/6/21
23/5/21

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक :- 23/5/21


संख्या-01 स्था0-97/2020- 886 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित शून्यकाल समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|------------------------------|---------|--------|
| 1. श्री प्रदीप यादव | स0वि0स0 | सभापति |
| 2. श्री जयप्रकाश भाई पटेल | स0वि0स0 | सदस्य |
| 3. श्री बिरंवी नारायण | स0वि0स0 | सदस्य |
| 4. श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन | स0वि0स0 | सदस्य |
| 5. श्री किशुन कुमार दास | स0वि0स0 | सदस्य। |

श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद) 23/5/21
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :-01स्था0-97/2020- 887 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21


प्रति :- श्री प्रदीप यादव, स0वि0स0, सभापति, शून्यकाल समिति/ श्री जयप्रकाश भाई पटेल, स0वि0स0, सदस्य/ श्री बिरंवी नारायण, स0वि0स0, सदस्य/ श्री ग्लेन जोसेफ गॉलस्टेन, स0वि0स0, सदस्य/ श्री किशुन कुमार दास, स0वि0स0, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महासचिवता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/2021
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :-01स्था0-97/2020- 887 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

५०४०३०

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 887 / वि0स0, रौँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को कृपया: मागनीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 887 / वि0स0, रौँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रौँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 887 / वि0स0, रौँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- बोटल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौँची।
[Signature]
23/5/21

[Faint text and stamps, including a large circular stamp at the bottom left]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंघी, दिनांक :- 23/5/21


संख्या-01 स्था0-97/2020- 888 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित विधायक निधि अनुभवण समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|---------------------------------|---------|--------|
| 1. श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह | स0वि0स0 | सभापति |
| 2. श्री बैद्यनाथ राम | स0वि0स0 | सदस्य |
| 3. श्री चमरा लिण्डा | स0वि0स0 | सदस्य |
| 4. श्री नवीन जायसवाल | स0वि0स0 | सदस्य |
| 5. श्री राजेश कच्छप | स0वि0स0 | सदस्य। |

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 889 / वि0स0, रौंघी, दिनांक - 23/5/21


प्रति :- श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स0वि0स0, सभापति, विधायक निधि अनुभवण समिति/ श्री बैद्यनाथ राम, स0वि0स0, सदस्य/ श्री चमरा लिण्डा, स0वि0स0, सदस्य/ श्री नवीन जायसवाल, स0वि0स0, सदस्य/ श्री राजेश कच्छप, स0वि0स0, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंघी/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंघी/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंघी/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


-23/5/2021
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 889 / वि0स0, रौंघी, दिनांक - 23/5/21


प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


-23/5/2021
संयुक्त सचिव


झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

504830


झापांक :- 01 स्था 0-97/2020- 889 / वि०स०, रौंठी, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौंठी/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को कमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनाय प्रेषित।



23/5/2021
संयुक्त सचिव




झापांक :- 01 स्था 0-97/2020- 889 / वि०स०, रौंठी, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, झेरण्डा, रौंठी को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव

झापांक :- 01 स्था 0-97/2020- 889 / वि०स०, रौंठी, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौंठी एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झेरण्डा, रौंठी को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंठी।

23/5/21




[Faint text and stamps are visible in the left margin, including the name 'संयुक्त सचिव' and 'सचिवालय']

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय
अधिसूचना

राँची, दिनांक :- 23/5/21


संख्या-01 स्था0-97/2020- 890 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-257 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित पर्यावरण एवं प्रदूषण निर्यंत्रण समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|----------------------------|---------|--------|
| 1. श्रीमती सविता महतो | स0वि0स0 | सभापति |
| 2. श्री बन्धु तिकी | स0वि0स0 | सदस्य |
| 3. श्री संजीव सरदार | स0वि0स0 | सदस्य |
| 4. श्रीमती ममता देवी | स0वि0स0 | सदस्या |
| 5. श्री जिब्गा सुसारण होरो | स0वि0स0 | सदस्य। |

श्रीमती सविता महतो, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।


अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,


(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :- 01 स्था0-97/2020- 891 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21


प्रति :- श्रीमती सविता महतो, स0वि0स0, सभापति, पर्यावरण एवं प्रदूषण निर्यंत्रण समिति/ श्री बन्धु तिकी, स0वि0स0, सदस्य/ श्री संजीव सरदार, स0वि0स0, सदस्य/ श्रीमती ममता देवी, स0वि0स0, सदस्या/ श्री जिब्गा सुसारण होरो, स0वि0स0, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


24/5/21
(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :- 01 स्था0-97/2020- 891 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/5/21
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

808030

ज्ञापक :- ०१स्वा०-९७/२०२०- ८९१ / वि०स०, रौंठी, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा० अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, रौंठी/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
२३/५/२१

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रौंठी।

ज्ञापक :- ०१स्वा०-९७/२०२०- ८९१ / वि०स०, रौंठी, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, रौंठी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
२३/५/२१

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रौंठी।

ज्ञापक :- ०१स्वा०-९७/२०२०- ८९१ / वि०स०, रौंठी, दिनांक - २३/५/२१

प्रति :- नोटल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, रौंठी एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रौंठी को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
२३/५/२१

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, रौंठी।

[Handwritten Signature]
२३/५/२१

[Faint Handwritten Signature]

[Faint Handwritten Text]

[Faint Handwritten Signature]

[Faint Handwritten Text]

[Faint Handwritten Signature]

[Faint Handwritten Text]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

रौंघी, दिनांक :- 23/5/21

संख्या-01 स्था0-97/2020- 892 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-255 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. डॉ० सरफराज अहमद	स0वि0स0	सभापति
2. श्री बैद्यनाथ राम	स0वि0स0	सदस्य
3. श्री अमित कुमार मंडल	स0वि0स0	सदस्य
4. श्री आलोक कुमार चौरसिया	स0वि0स0	सदस्य
5. श्रीमती पुष्पा देवी	स0वि0स0	सदस्या।

डॉ० सरफराज अहमद, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व पटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

ज्ञापक :-01 स्था0-97/2020- 892 / वि0स0, रौंघी, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- डॉ० सरफराज अहमद, स0वि0स0, सभापति, जिला परिषद् एवं पंचायती राज समिति/ श्री बैद्यनाथ राम, स0वि0स0, सदस्य/ श्री अमित कुमार मंडल, स0वि0स0, सदस्य/ श्री आलोक कुमार चौरसिया, स0वि0स0, सदस्य/ श्रीमती पुष्पा देवी, स0वि0स0, सदस्या/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महासचिव, झारखण्ड, रौंघी/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंघी/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंघी/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।

ज्ञापक :-01 स्था0-97/2020- 892 / वि0स0, रौंघी, दिनांक - 23/5/21


प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंघी।


क्र० प्र० ६८

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 893 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव


झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 893 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झापांक :- 01स्वा0-97/2020- 893 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- नोटल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।


23/5/2021
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।


23/5/21

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

संख्या-01 स्था0-97/2020- 894 / दि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित गैर सरकारी संकल्प समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता	स0वि0स0	सभापति
2. श्री दशरथ गानराई	स0वि0स0	सदस्य
3. श्री सोनाराम सिंघु	स0वि0स0	सदस्य
4. श्री संजीव सरदार	स0वि0स0	सदस्य
5. श्री बसन्त सोरेन	स0वि0स0	सदस्य।

श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अध्यक्ष समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 895 / दि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- श्रीमती अपर्णा सेन गुप्ता, स0वि0स0, सभापति, गैर सरकारी संकल्प समिति/ श्री दशरथ गानराई, स0वि0स0, सदस्य/ श्री सोनाराम सिंघु, स0वि0स0, सदस्य/ श्री संजीव सरदार, स0वि0स0, सदस्य/ श्री बसन्त सोरेन, स0वि0स0, सदस्य/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महासचिवता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 895 / दि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :- 01स्था0-97/2020- 895 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, ना0 अध्यक्ष, झांखण्ड विधान सभा, राँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को कमरा: माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021

संयुक्त सचिव

झांखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :- 01स्था0-97/2020- 895 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021

संयुक्त सचिव

झांखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :- 01स्था0-97/2020- 895 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- जोडल पदाधिकारी, झांखण्ड विधान सभा, राँची एवं अर्चीवक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झांखण्ड राजपत्र (ई-मजद) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021

संयुक्त सचिव

झांखण्ड विधान सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
23/5/21

[Faint background text and stamps, including a large circular stamp at the bottom left]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

संख्या-01 स्था0-97/2020- 896 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित पुस्तकालय विकास समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. श्री इरफान अंसारी	स0वि0स0	सभापति
2. श्री कुल्लू महतो	स0वि0स0	सदस्य
3. श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0	सदस्य
4. श्री इन्द्रजीत महतो	स0वि0स0	सदस्य
5. श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स0वि0स0	सदस्या।

श्री इरफान अंसारी, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,



(महेन्द्र प्रसाद) 23/5/21

सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।


ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 897 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- श्री इरफान अंसारी, स0वि0स0, सभापति, पुस्तकालय विकास समिति/ श्री कुल्लू महतो, स0वि0स0, सदस्य/ श्री मंगल कालिन्दी, स0वि0स0, सदस्य/ श्री इन्द्रजीत महतो, स0वि0स0, सदस्य/ श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह, स0वि0स0, सदस्या/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 898 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

20/5/21

- 02 -

झापांक :- 01स्था0-97/2020- 897 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा0 अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, झोरण्डा, राँची को कृपया माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झापांक :- 01स्था0-97/2020- 897 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, झोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झापांक :- 01स्था0-97/2020- 897 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, झोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021

संयुक्त सचिव
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
23/5/21

[Faint background text and multiple illegible signatures]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-898/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी	स0वि0स0	सभापति
02. श्री मथुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री मनीष जायसवाल	स0वि0स0	सदस्य
04. डॉ0 नीरा यादव	स0वि0स0	सदस्या
05. श्री समीर कुमार महान्ती	स0वि0स0	सदस्य।

श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के/आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)

सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-899/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- श्री रामचन्द्र चन्द्रवंशी, सभापति, अनागत प्रश्न क्रियान्वयन समिति/श्री मथुरा प्रसाद महतो, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची /श्री मनीष जायसवाल, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/डॉ0 नीरा यादव, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा/श्री समीर कुमार महान्ती, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)

संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-899/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-स्थापन शाखा (10 प्रति में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुरतकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

807030-

ज्ञापांक:- 01स्था0-97/2020..... 899/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/21
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक:- 01स्था0-97/2020..... 899/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, झोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/21
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक:- 01स्था0-97/2020..... 899/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति:- नोटल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय झोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/21
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
23/5/21

[Faint background text and stamps, including a large circular stamp on the left side of the page.]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-900/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-261 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित निवेदन समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. श्री उमाशंकर अकेला	स0वि0स0	सभापति
02. श्री मूषण बड़ा	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री मंगल कालिन्दी	स0वि0स0	सदस्य
04. श्रीमती पूर्णिमा नीरज सिंह	स0वि0स0	सदस्या
05. सुश्री अम्बा प्रसाद	स0वि0स0	सदस्या।

श्री उमाशंकर अकेला, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसको सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-901/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- श्री उमाशंकर अकेला, सभापति निवेदन समिति/श्री मूषण बड़ा, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची / श्री मंगल कालिन्दी, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/श्रीमती पूर्णिमा नीरजा सिंह, सदस्या, झारखण्ड विधान सभा/सुश्री अम्बा प्रसाद, सदस्या, निवेदन समिति, झारखण्ड विधान सभा, राँची/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सूत्री विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक:- 01स्था0-97/2020-901/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-स्थापन शाखा (10 प्रतियों में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

३०/३०३०

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020-901 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / सचिव महोदय के आप्त सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020-901 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापांक- 01स्था0-97/2020-901 / विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/2021
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
23/5/21

[Faint, mostly illegible text and signatures in the lower half of the page, including a large signature at the bottom left.]

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

संख्या-01 स्था0-97/2020- 902 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जाणकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्ट-संचालन के नियम-223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित सदाचार समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

- | | | |
|----------------------------|---------|--------|
| 1. श्री केंदार हाजरा | स0वि0स0 | सभापति |
| 2. श्री रणधीर कुमार सिंह | स0वि0स0 | सदस्य |
| 3. श्री समीर कुमार महाब्नी | स0वि0स0 | सदस्य |
| 4. श्री जिगा सुसारण होरो | स0वि0स0 | सदस्य। |

श्री केंदार हाजरा, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

नोट :- यह समिति मृत सरकारी सेवकों के उपादान, पेंशन एवं अनुकम्पा आधारित नियुक्तियों के मामलों को भी देखेगी।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।
झापांक :-01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- श्री केंदार हाजरा, स0वि0स0, सभापति, सदाचार समिति/ श्री रणधीर कुमार सिंह, स0वि0स0, सदस्य/ श्री समीर कुमार महाब्नी, स0वि0स0, सदस्य/ श्री जिगा सुसारण होरो, स0वि0स0, सदस्य/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।
झापांक :-01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21
प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में), लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनाई एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :- 01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- विशेष कार्य पदाधिकारी, मा0 अध्यक्ष, झाडाखण्ड विधान सभा, राँची/ संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय/ आप्त सचिव, सचिवालय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सचिव महोदय के सूचनाय प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/21

संयुक्त सचिव
झाडाखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :- 01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/21

संयुक्त सचिव
झाडाखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापक :- 01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- मॉडल पदाधिकारी, झाडाखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को झाडाखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

[Handwritten Signature]
23/5/21

संयुक्त सचिव
झाडाखण्ड विधान सभा, राँची।

[Handwritten Signature]
23/5/21

ज्ञापक :- 01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]

संयुक्त सचिव

ज्ञापक :- 01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, नेपाल हाउस, डोरण्डा, राँची को सूचनाय एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[Handwritten Signature]

संयुक्त सचिव

ज्ञापक :- 01 स्था0-97/2020- 903 / वि0स0, राँची, दिनांक - 23/5/21

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक :- 23/5/21

संख्या-01 स्था0-97/2020- 904 / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. श्री सुदेश कुमार महतो	स0वि0स0	सभापति
2. श्री अनन्त कुमार ओझा	स0वि0स0	सदस्य
3. श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता	स0वि0स0	सदस्य
4. श्री लम्बोदर महतो	स0वि0स0	सदस्य
5. श्री कुमार जय मंगल (अनुप सिंह)	स0वि0स0	सदस्य।

श्री सुदेश कुमार महतो, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अवकाश समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

क्रमांक :-01 स्था0-97/2020- 905 / वि0स0, राँची, दिनांक -23/5/21

प्रति :- श्री सुदेश महतो, स0वि0स0, सभापति, युवा कल्याण, संस्कृति एवं पर्यटन विकास समिति/ श्री अनन्त कुमार ओझा, स0वि0स0, सदस्य/ श्री कुशवाहा शशिभूषण मेहता, स0वि0स0, सदस्य/ श्री लम्बोदर महतो, स0वि0स0, सदस्य/ श्री कुमार जय मंगल(अनुप सिंह) स0वि0स0, सदस्य/ माननीया राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/ महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

क्रमांक :-01 स्था0-97/2020- 905 / वि0स0, राँची, दिनांक -23/5/21

प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतिवों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, राँची।

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

राँची, दिनांक- 23/5/21

संख्या-01स्था0-97/2020-906/वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-266(1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष-2020-21 में गठित सामान्य प्रयोजन समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है :-

01. श्री सरयू राय	स0वि0स0	सभापति
02. भानू प्रताप शाही	स0वि0स0	सदस्य
03. श्री मधुरा प्रसाद महतो	स0वि0स0	सदस्य
04. श्री अन्नत कुमार ओझा	स0वि0स0	सदस्य
05. श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह	स0वि0स0	सदस्य
06. श्री सुदिव्य कुमार	स0वि0स0	सदस्य।

श्री सरयू राय, इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020-907/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21
प्रति- श्री सरयू राय, सभापति सामान्य प्रयोजन समिति/श्री भानू प्रताप शाही, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/श्री मधुरा प्रसाद महतो, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची /श्री अन्नत कुमार ओझा, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/श्रीमती दीपिका पाण्डेय सिंह, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा/श्री सुदिव्य कुमार, सदस्य, झारखण्ड विधान सभा, राँची/माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/महाधिवक्ता, झारखण्ड, राँची/महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग/संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव,

झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

ज्ञापक- 01स्था0-97/2020-907/वि0स0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-स्थापन शाखा (10 प्रति में), /लेखा शाखा, /जनसम्पर्क शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/पुस्तकालय शाखा, /विधायी शाखा, /ऑनलाईन शाखा, झारखण्ड विधान-सभा/सभी अपर सचिव, / सभी संयुक्त सचिव, /सभी उप सचिव एवं सभी अवर सचिव, झारखण्ड विधान-सभा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव, झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

50/3030

झापांक:- 01स्था0-97/2020-907/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-माननीय अध्यक्ष महोदय के विशेष कार्य पदाधिकारी/संयुक्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय /सचिव महोदय के आण्ट सचिव को क्रमशः माननीय अध्यक्ष एवं सचिव के सूचनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक:- 01स्था0-97/2020-907/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

झापांक:- 01स्था0-97/2020-907/विस0, राँची, दिनांक- 23/5/21

प्रति- नोडल पदाधिकारी, झारखण्ड विधान सभा, राँची एवं अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय डोरण्डा, राँची को झारखण्ड राजपत्र (ई-गजट) के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
झारखण्ड विधान-सभा, राँची।

23/5/21

झारखण्ड विधान सभा सचिवालय

अधिसूचना

१०८ रौंठी, दिनांक :- 23/5/21

संख्या-01 स्था0-97/2020- / वि0स0। एतद् द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है कि झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम-223 (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा द्वारा वर्ष 2020-21 में गठित आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति को वर्ष 2021-22 के लिए निम्न प्रकार से विस्तारित किया जाता है।

1. श्री रामचन्द्र सिंह	स0वि0स0	सभापति
2. श्री दशरथ गागराई	स0वि0स0	सदस्य
3. श्री नारायण दास	स0वि0स0	सदस्य
4. श्री नवीन जायसवाल	स0वि0स0	सदस्य
5. श्री सोना राम सिंघु	स0वि0स0	सदस्य।

श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0 इस समिति के सभापति एवं सभा सचिव इसके सचिव होंगे।

विस्तारित समिति का कार्यकाल अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से एक वर्ष तक के लिए अथवा समिति के पुनर्गठन (जो भी पूर्व घटित हो) तक के लिए होगा।

अध्यक्ष, झारखण्ड विधान सभा के आदेश से,

(महेन्द्र प्रसाद)
सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंठी।

ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 909, वि0स0, रौंठी, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- श्री रामचन्द्र सिंह, स0वि0स0, सभापति, आन्तरिक संसाधन एवं केन्द्रीय सहायता समिति/ श्री दशरथ गागराई, स0वि0स0, सदस्य/ श्री नारायण दास, स0वि0स0, सदस्य/ श्री नवीन जायसवाल, स0वि0स0, सदस्य/ श्री सोना राम सिंघु, स0वि0स0, सदस्य/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ महाधिवक्ता, झारखण्ड, रौंठी/ महालेखाकार, झारखण्ड, रौंठी/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, रौंठी/ प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग/ प्रधान सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग/ प्रधान सचिव, उर्जा विभाग/ संसदीय कार्य विभाग एवं सरकार के अन्य सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/ सभी उपायुक्त को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंठी।

ज्ञापांक :-01 स्था0-97/2020- 909, वि0स0, रौंठी, दिनांक - 23/5/21

प्रति :- स्थापन शाखा (10 प्रतियों में)/ लेखा शाखा/ जनसम्पर्क शाखा/ पुस्तकालय शाखा/ विधायी शाखा/ ऑनलाईन शाखा/ सभी अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(रंजीत कुमार)
संयुक्त सचिव

झारखण्ड विधान सभा, रौंठी।

5. 11. 21

